न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 91/2014 तारीख रजू:— 19.09.2014

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गुर्जर

R.A.S.

1. सुमेरसिंह पुत्र झूमीलाल जाट निवासी ढिंढोरा ——— मृतक

1/1. मु0 हेमलता पत्नि स्व0 सुमेरसिंह जाति जाट निवासी ढिंढोरा तहसील सूरौठ

1/2. पिन्टू
1/3. विष्ण
1/4. कृष्णपाल
1/5. इन्द्रपाल

पिसरान सुमेरसिंह जाति जाट निवासी ढिंढोरा तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान

2. गोपालसिंह
3. अजीतसिंह

पिसरान झूमीलाल जाति जाट निवासी ढिंढोरा तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान

4. मु0 रामकटोरी पुत्री झूमीलाल जाति जाट निवासी ढिंढोरा तहसील सूरौठ

5. मु0 गैन्दी देवी बेबा झूमीलाल जाति जाट निवासी ढिंढोरा तहसील सूरौठ

6. मु0 रामलता
7. मु0 पुष्पा

पुत्रियॉ झूमीलाल जाति जाट निवासी ढिंढोरा तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान

8. विनोद पुत्र मु0 प्रेमलता पुत्री रामदयाल, नाबालिक जरिये नानी मु0 गैंदीदेवी जाति जाट निवासी ढिंढोरा तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान ————सायलान

बनाम

1. कृपालसिंह
2. कुंवरसिंह

पिसरान पांच्या जाति जाट निवासी ढिंढोरा तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान ——————— गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :—1. श्री अशोक नीमनका एडवोकेट सायलान

2. श्री सीताराम गुर्जर एडवोकेट गैरसायलान

निर्णय दिनांक :—27.10.2025

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सायलान ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 में दर्ज किया है

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

कि सायलान ने इस सम्मानीय अदालत में उक्त उनवान का वाद गैरसायलान के विरूद्ध पेश कर दिया है। जिसमें सायलान को सफलता मिलने की पूरी–पूरी उम्मीद है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 में दर्ज किया है कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 996 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा स्थित ग्राम ढिंढोरा तहसील हिण्डौन, मृतक ग्यासिया व झूमींलाल पिसरान अमोल की खातेदारी व कब्जा काश्त की आराजी रही है। खातेदार ग्यासिया लाऔलााद फोत होने पर तथा खातेदार झूमींलाल के फोत हो जाने पर सायलान जो साबिक खातेदारान के तरके पर काबिज एवं दखील हैं। उक्त आराजी के मालिक खातेदार काश्तकार हैं, और मौके पर साबिक के मुताबिक हमेशा से काबिज चले आ रहे हैं और वह क्रम आज भी बदस्तूर है। फसल मौजूदा में सायलान द्वारा फसल तिल काश्त किया है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 में दर्ज किया है कि उक्त आराजी साबिक खसरा नम्बर 996 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा के स्थान पर सेटिलमेन्ट कर्मचारियों द्वारा मौके पर मौजूदा खसरा नम्बर 1839 रकबा 29 एअर स्थित ग्राम ढिंढोरा कायम कर गलती से या गैरसायलान संख्या 1 व 2 के अवैधानिक प्रयास से खातेदारी गैरसायल संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज कर दी है, जो गलत है। अवनीसियों बोईड व प्रभावहीन सायलान है। सेटिलमेन्ट विभाग को उक्त गलती करने का या गैरसायल सं. 1 व 2 को सेटिलमेन्ट से गलती करवा कर अपने नाम खातेदारी दर्ज करवाने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। इसलिए राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त फरमाया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। सायलान का मद नं. 2 व 3 प्रार्थना पत्र में वर्णित तर्क निम्न आधारों पर भली प्रकार से सत्यापित है:–

प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 के उपमद 3 (ए) में दर्ज किया है कि गैरसायलान व अन्य खातेदारान की साबिक खातेदारी का खसरा नम्बर 999 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा सायलान की आराजी खसरा नम्बर 996 से लगवां रहा है। जिसमें गैरसायलान संख्या 1 व 2 का 1/2 हिस्सा रहा है। उक्त खसरा नम्बर 999 के सेटिलमेन्ट विभाग द्वारा मिलान क्षेत्रफल के मुताबिक मौजूदा खसरा नम्बर 1839 रकबा 29 एअर कायम कर खातेदारी गैरसायल संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज कर दी है तथा खसरा नम्बर 1805 रकबा 22 एअर कायम कर खातेदारी गैरसायल संख्या 1 व 2 तथा साबिक खसरा नम्बर 999 के अन्य खातेदारा भूपेन्द्र, देवीलाल, दौजी, बिरजी के नाम दर्ज कर दी है। जिसमें से गैरसायल संख्या 1 व 2 द्वारा न्यायालय हाजा को मुगालते में रखते हुए 1805/1 रकबा 10 एअर कायम करवाकर अपने नाम खातेदारी करवा ली है तथा 12 एअर की खातेदारी शेष 1/2 हिस्से के खातेदारान के नाम करवा दी है, जो गलत है। अवनीसियों बोईड है, क्योंकि खसरा नम्बर 999 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा से ज्यादा से ज्यादा 29 एअर रकबा कायम किया

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

जा सकता है जबकि उक्त दोनों खसरा नम्बर 1839 व 1805 का रकबा 51 एअर हो जाता है। जो किसी भी प्रकार संभव नहीं है। इसलिए गैरसायल संख्या 1 व 2 बसाज सेटिलमेन्ट विभाग के कर्मचारियों साबिक खसरा नम्बर 999 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा के 1/2 भाग यानि 11.5 बिस्वा(13 एअर) के स्थान पर खसरा नम्बर 1839 रकबा 29 एअर व खसरा नम्बर 1805/1 रकबा 10 एअर, खसरा नम्बर 1839 रकबा 39 एअर रकबा हडपना चाहते है। यानि गैरसायल संख्या 1 व 2 द्वारा बनियत बदयांती 26 रकबा अधिक हड़पना चाहते हैं। इसलिये मौजूदा रेवन्यू रिकॉर्ड प्राईमाफेसी गलत होना भलीप्रकार साबित है। जिसे दुरूस्त फरमाया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 के उपमद 3 (बी) में दर्ज किया है कि सेटिलमेन्ट विभाग से साज कर गैरसायल संख्या 1 व 2 द्वारा सायलान के साबिक खसरा नम्बर 996 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा से मौजूदा खसरा नम्बर 1804 रकबा 10 एअर, खसरा नम्बर 1801/4168 रकबा 19 एअर कायम करवा दिया है। जिस पर सायलान का कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा, और ना ही आज है। मौके पर उक्त खसरा नम्बरान 1801/4168 पर बनै सिंह, धर्मसिंह, रामसवरूप तथा खसरा नम्बर 1804 पर हरेती लाल, भगवान सिंह का कब्जा काश्त है। जिनको सायलान खातेदारी करवाने को सहमत है। उनके द्वारा अपने नाम खातेदारी करवाने की प्रक्रिया चल रही है। इस प्रकार मौजूदा राजस्व रिकॉर्ड साबिक के मुताबिक दुरुस्त फरमाया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 के उपमद 3 (सी) में दर्ज किया है कि यह कि गैरसायल संख्या 1 व 2 द्वारा राजस्व कर्मचारियों से साज कर साबिक खसरा नम्बर 996 को इस प्रकार विखण्डित करवा दिया है कि उक्त खसरा नम्बरान की नकल खसरा नम्बर 999 के साथ लेना सम्भव ही नहीं है। सायलान द्वारा रिकॉर्ड रूम में दरख्वास्त लगाने पर शीट फटी हुई बता कर सायलान को नकल देने से मना कर दिया है। जबकि सन 2001 तक शीट फटी हुई नहीं थी, हालांकि उक्त समय पर भी खसरा नम्बर 996 की नकल सही नहीं बन पाई थी। इस प्रकार गैरसायलान संख्या 1 व 2 से सेटिलमेन्ट के सरकारी कर्मचारियों से बनियत बदयांती फर्जी रिकॉर्ड तैयार करवाना बाखूबी साबित है। जिसे साबिक के मुताबिक व मौके पर कब्जा काश्त के आधार पर दुरुस्त फरमाया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 4 में दर्ज किया है कि सायलान को गैरसायल संख्या 1 व 2 द्वारा सेटिलमेन्ट विभाग के कर्मचारियों से करवाई गयी फर्जकारी का इल्म गैरसायल संख्या 1 व 2 द्वारा दिनांक 07.02.2014 को दायर इस्तागासा के आधार पर खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

1839 को हड़पने के प्रयास में की गयी कार्यवाही तथा गैरसायल संख्या 1 व 2 द्वारा बेचान किये गये खसरा नम्बर 1877 की खातेदारी जिस पर पूर्व में गैरसायल संख्या 1 व 2 की सहखातेदारी में थी, और कब्जा गैरसायल संख्या 1 व 2 का था, की खातेदारी अन्य सहखातेदारान के नाम करवा दी। जिसे सायलान ने बेचान कर दिया था। जिसकी रजिस्ट्री करवाने से मना कर दिया गया। और कब्जा सायलान का मौके पर है। खसरा नम्बर 1876 जिस पर कब्जा काश्त अन्य सहखातेदारान का है, उसकी स्वयं के नाम खातेदारी करवाकर बेचान करने का प्रयास करने की प्रक्रिया का इल्म होने पर रेवन्यू रिकॉर्ड दिखवाया गया। जांच पडताल की। पुलिस थाना सूरौठ में फर्जी रिपोर्ट सायलान के खिलाफ दर्ज करवा दी गयी। जिनमें पुलिस द्वारा जांच करवाने की प्रक्रिया इल्म होने के तथ्यों का तथा गैरसायल संख्या 1 व 2 की बदयांति का खुलासा हुआ है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 5 में दर्ज किया है कि सायलान ने दिनांक 11.08.2014 को गांव के गणमान्य व्यक्तियों को एकत्रित कर गैरसायल सं. 1 व 2 को समझाने का प्रयास किया, खसरा नम्बर 1839 की खातेदारी सायलान के नाम तथा उनके द्वारा सेटिलमेन्ट से साज कर बनवाये गये गलत राजस्व रिकॉर्ड को दुरुस्त करवाने की कहने पर गैरसायलान ने साफ इन्कार कर दिया और कहा कि हमें तो तुम्हें गांव से भगाना है। इसलिये हमने यह काम करवाया है। अब हम इन जमीनों को जिन पर तुम्हारा कब्जा है और खातेदारी हमारे नाम की है उनको गुर्जर जाति के डण्डे वाले लोंगो को बेचान कर रहे है कि तुमसे डण्डे के बल पर कब्जा ले ले और तुम्हे गांव से भगा दें। हाजरीन ग्रामवासियों द्वारा गैरसायलान 1 व 2 को समझाने का भरसक प्रयास किया, मगर वे किसी की एक मानने को तैयार नहीं है। इसलिये अगर गैरसायलान अपनी इस कुचेष्ठा में कामयाब हो गये, तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी। जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार इन टर्मस आफ मनी नहीं हो सकेगी।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 6 में दर्ज किया है कि अगर गैरसायलान अपनी उक्त गैरकानूनी मंसूबे में कामयाब हो गये, तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार इन टर्मस आफ मनी होना संभव नहीं हो सकेगी, जबकि गैरसायलान को पाबन्द करने से उन्हें कोई क्षति किसी भी प्रकार की नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 7 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का प्राइमाफेशी केस व सुविधा का संतुलन सायलान के पक्ष में है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि सायलान को जरिये आदेश अस्थायी निषेधाज्ञा इस प्रकार ताफैसला मुकदमा इस प्रकार पाबंद फरमाया जावे कि

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

गैरसायलान आराजी खसरा नम्बर 1839 रकबा 29 एअर स्थित ग्राम ढिंढोरा को रहन वय नहीं करें। सायलान के कब्जे काश्त में कोई मजाहमत मदाखलत नहीं करें। रिकॉर्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायलान बाद तामील जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये तथा जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 अनुसार सायलान द्वारा निराधार तथ्यों पर दावा पेश करना स्वीकार है, परनतु उक्त दावा कतई गलत एवं बनावटी तथ्यों के आधार पर बिना किसी अधिकार व औचित्य के पेश होने से सायलान को सफलता मिलना कल्पना मात्र है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 में दर्ज किया है कि मद नम्बर 2 प्रार्थना पत्र जिस प्रकार से बयान किया गया है, गलत है और स्वीकार नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 में दर्ज किया है कि मद नम्बर 3 प्रार्थना पत्र जिस प्रकार से बयान किया गया है, गलत है और स्वीकार नहीं है। भूमि खसरा नम्बर 1839 रकबा 29 एअर स्थित ग्राम ढिंढोरा, तहसील हिण्डौन के गैरसायलान खातेदार काश्तकार हैं कि जो उन्हें विरासत में अपने बुजुर्गान से प्राप्त हुई है। सायलान का यह कथन कतई गलत है कि भूमि की खातेदारी सैटिलमेन्ट कर्मचारियों द्वारा गैरसायलान के नाम गलत रूप से कर दी गई हो कि जिसे वे दुरूस्त कराने के अधिकारी हों।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 के उपमद 3(ए) में दर्ज किया है कि मद नं. 3(ए) प्रार्थना पत्र जिस प्रकार से बयान किया गया है, गलत है और स्वीकार नहीं है। गैरसायलान द्वारा श्रीमान् न्यायालय में सही आधारों पर दावा दायर कर मौके पर कब्जे काश्त व राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार न्यायालय द्वारा खातेदारी का अंकन दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया गया है। सायलान ने इस मद में समस्त कथन कतई गलत व बनावटी, लालच के वशीभूत होकर दर्ज कराये हैं।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 के उपमद 3(बी) में दर्ज किया है कि मद नं. 3(बी) प्रार्थना पत्र जिस प्रकार से बयान किया गया है गलत है और स्वीकार नहीं है। सैटिलमेन्ट विभाग द्वारा दौराने कार्यवाही सैटिलमेन्ट भूमि पर खातेदारान के कब्जे काश्त व खातेदारी के अनुसार ही खातेदारी का इन्द्राज दर्ज किया गया है। सायलान का यह कथन कतई गलत है कि गैरसायलान द्वारा सैटिलमैंट कर्मचारियों से मिलकर भूमि का अंकन गलत दर्ज करवा दिया हो। राजस्व रिकार्ड में किसी भी प्रकार से सायलान को फेरबदल करवाने का कोई हक व अधिकार नहीं है और ना ही सायलान ने प्रार्थनापत्र हाजा में

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

बनैसिंह, धर्मसिंह, रामस्वरूप, हरेतीलाल, भगवानसिंह को पक्षकार मुकदमा बनाया है कि जिसके अभाव में प्रार्थनापत्र सायलान कानूनन मेन्टीनेबील नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 के उपमद 3(सी) में दर्ज किया है कि मद नं. 3(सी) प्रार्थना पत्र जिस प्रकार से बयान किया गया है गलत है और स्वीकार नहीं है। सायलान का यह कथन कतई गलत है कि गैरसायलान द्वारा रेवेन्यू कर्मचारियों से साज कर सीट साबिक खसरा नं. 996 को विखण्डित करवा दिया हो एवं खसरा नम्बरान की नकल खसरा नं. 999 के साथ लेना सम्भव नहीं हो। सायलान का यह कथन भी गलत है कि गैरसायलान ने सैटिलमेन्ट कर्मचारियों से साज कर फर्जी रिकार्ड तैयार करवाया हो, एवं साबिक के मुताबिक मौके पर पक्षकारान का कब्जा काश्त नहीं हो। सायलान वेस्ट पटीकूलर के अभाव में कोई दादरससी प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 4 में दर्ज किया है कि मद नं. 4 प्रार्थना पत्र जिस प्रकार से बयान किया गया है, गलत है और स्वीकार नहीं है। सायलान का यह कथन कतई गलत है कि उन्हें प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों के बारे में दिनांक 07.02.2014 को इल्म हुआ हो। सायलान ने इस मद में कतई गलत एवं बनावटी कथन महज प्रार्थनापत्र दायर करने के आशय से दर्ज किए हैं जो गैरसायलान को स्वीकार नहीं है और ना ही सायलान ने विवादित भूमि के सहखातेदारान पक्षकार मुकदमा बनाया है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 5 में दर्ज किया है कि मद नं. 5 प्रार्थना पत्र गलत है और स्वीकार नहीं है। दिनांक 11.08.2014 को या किसी भी दिन, किसी भी समय इस मद में वर्णित कोई वातावरण सायलान व गैरसायलान के मध्य नहीं हुआ है और ना ही उक्त दिनांक को किंन्हीं गणमान्य व्यक्तियों ने उपस्थित होकर कोई समझाइश की कार्यवाही की है। सायलान व गैरसायलान राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदारी के इन्द्राजात अनुसार ही मौके पर काबिज काश्त हैं। गैरसायलान के किसी भी कार्य से सायलान को कोई अपूर्तनीय क्षति नहीं पहुंच रही है ना ही पहुंचने की सम्भावना है। सायलान ने बिना किसी अधिकार व औचित्य के बदनियती से गैरसायलान को तंग व परेशान करने के आशय से प्रार्थनापत्र दायर किया है जो हर प्रकार से खारिज किये जाने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 6 में दर्ज किया है कि मद नं. 6 प्रार्थना पत्र गलत है और स्वीकार नहीं है। गैरसायलान के कोई गैरकानदूनी मन्सूबे नहीं हैं और ना ही गैरसायलान के किसी भी कार्य से सायलान को कोई अपूर्तनीय क्षति पहुंच रही है ना ही पहुंचने की सम्भावना है। गैरसायलान को पाबंद किये जाने से उन्हें बमुकाबले सायल अत्यधिक क्षति होगी, जिसकी पूर्ति किसी द्रव्य में भी सम्भव नहीं हो सकेगी।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 7 में दर्ज किया है कि मद नं. 7 प्रार्थना पत्र गलत है और स्वीकार नहीं है। प्राइमाफेसी केस व सुविधा का संतुलन सायलान के पक्ष में साबित न होकर गैरसायलान के पक्ष में बखूबी साबित हैं।

विशेष कथन :–

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 8 में दर्ज किया है कि श्रीमान् न्यायालय द्वारा विवादित आराजी व अन्य सहखातेदारी की आराजीयात के बाबत प्रस्तुत मुकदमा नं. 251/01 को प्राथमिक डिकी किया जाकर बाद विभाजन प्रस्ताव मौके अनुसार कब्जा बाबत प्राप्त कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 22.07.2018 के बाद फाइनल डिक्री किया गया है कि जिसके अनुसार मौजूदा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हुआ है। उक्त निर्णय व डिकी दिनांकित 22.07.2018 के विरूद्ध भूपेन्द्र सिंह आदि द्वारा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर में अपील सी.आई.एस. नम्बर 4588/12 उनवानी भूपेन्द्र बनाम कृपाल प्रस्तुत की गई है कि जो विचाराधीन है कि जिसमें तारीख पेशी 20.03.2020 नियत है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 9 में दर्ज किया है कि प्रार्थनापत्र सायलान पूर्व न्याय के सिद्धांत से बाधित होने के कारण कानूनन मेन्टीनेबील नहीं होने से खारिज होने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 10 में दर्ज किया है कि सायलान ने विवादित आराजीयात के सम्पूर्ण खातेदारान को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया है। प्रार्थनापत्र सायलान में नोन जाइन्डर ऑफ पार्टीज का नुग्ज होने के कारण प्रार्थनापत्र सायलान कानूनन मेन्टीनेबील नहीं होने से खारिज होने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 11 में दर्ज किया है कि सायलान ने सही तथ्यों को छुपाकर गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दायर किया है। सायलान स्वच्छ हस्त से माननीय न्यायालय में नहीं आये हैं इसलिए कोई इक्यूटेबल रिलीफ पाने के अधिकारी नहीं हैं।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 12 में दर्ज किया है कि भूमि साबिक खसरा नम्बर 996 रकबा 1 बीघा 3 विस्वा का बाद सैटिलमेन्ट बना नवीन खसरा नम्बर 1839 रकबा 29 एअर स्थित ग्राम ढिंढोरा से सायलान का कोई संबंध किसी प्रकार का नहीं है और ना ही कभी सायलान का कब्जा काश्त रहा है। कब्जे की दादरससी चाहे बगैर, दावा व प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सायलान कानूनन मेन्टीनेबील नहीं होने से खारिज होने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 13 में दर्ज किया है कि विवादित भूमि के गैरसायलान रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं, कानूनन रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को जरिये आदेश अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं फरमाया जा सकता।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सायलान मय खर्च खारिज फरमाया जावे।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सम्वत् 2067–2070, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सम्वत् 2037–40, फोटो प्रति नकल मिलान क्षेत्रफल, पेश किये हैं।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गयी । वकील सायलान ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहाराया है तथा सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है इसके विपरीत वकील गैरसायलान ने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहाराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। सायलान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सम्वत् 2067–2070 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1839 रकबा 0.29 है0 वाके ग्राम ढिंढोरा तहसील हिण्डौन की खातेदारी कृपालसिंह कुंवरसिंह पि0 पांच्या जाति जाट सा0देह के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल मिलान क्षेत्रफल के अनुसार दौराने सेटिलमेन्ट ग्राम ढिंढोरा तहसील हिण्डौन के साबिक खसरा नम्बर 999 मिन से हाल खसरा नम्बर 1839 रकबा 0.29 है0 कायम किया गया है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सम्वत् 2037–40 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 999 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम ढिंढोरा तहसील हिण्डौन की खातेदारी भूपेन्द्र पुत्र किरोडी हि0 1/4, कृपालसिंह कुंवरसिंह पि0 पांच्या हि01/2, देवीलाल दौजी विरजी पि0 पून्या हि0 1/4 जाति जाट सा0देह के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट नहीं होता है कि सायलाान के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी सबूतों के आधार पर यह स्पष्ट है कि हाल खसरा नम्बर 1839 रकबा 0.29 है0 दौराने सेटिलमेन्ट साबिक खसरा नम्बर 999 मिन से कायम किया गया है तथा साबिक खसरा नम्बर 999 की खातेदारी भूपेन्द्र पुत्र किरोडी हि0 1/4, कृपालसिंह कुंवरसिंह पि0 पांच्या हि01/2, देवीलाल दौजी विरजी पि0 पून्या हि0 1/4 जाति जाट सा0देह के नाम दर्ज रिकार्ड रही है तथा हाल खसरा नम्बर 1839 रकबा 0.29 है0 वाके

उपखण्ड [illegible]कारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

ग्राम ढिंढोरा तहसील हिण्डौन की खातेदारी कृपालसिंह कुंवरसिंह पि0 पांच्या जाति जाट सा0देह के नाम दर्ज रिकार्ड है। जिससे सायलान का कोई सम्बन्ध व बास्ता किसी प्रकार का होना साबित नहीं होता है। पक्षकारान के अधिकार दावे में सुरक्षित हैं। सायलान के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी सबूतों के आधार पर प्रथमदृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू सायलान के पक्ष में साबित नहीं होता है बल्कि गैरसायलान के पक्ष में प्रथमदृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू बखूबी साबित है। ऐसी स्थिति यदि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया गया तो उससे गैरसायलान के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पडने की पूर्ण सम्भावना प्रतीत होती हैं। ऐसे हालात में सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान विवादित आराजी खसरा नम्बर 1839 रकबा 0.29 है0 वाके ग्राम ढिंढोरा तहसील हिण्डौन हाल तहसील सूरौठ खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 27.10.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर) 27/10/25
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली